

/109164/2024

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

**आदेश**

बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-900(II) दिनांक-30.08.2023 के अनुशंसा के आलोक में श्री विकाश कुमार भगत, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (आई0डी0 सं0-SCL01708) बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को उनकी पत्नी एवं प्रथम संतान की देख-भाल हेतु दिनांक-11.09.2023 से 25.09.2023 (कुल 15 दिन) का पितृत्व अवकाश का उपभोग करने की स्वीकृति भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना स्तर पर निर्गत आदेश संख्या-685 दिनांक-17.03.2022 के कंडिका-04 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है।

Signed by Jai Singh

Date: 29-01-2024 17:18:07

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित विशेष सर्वेक्षण लिपिक को सूचनार्थ प्रेषित।
2. बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित संविदा कर्मियों के व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।